

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	अधिवक्तागण
1.	2506 / 2025	महेन्द्र सिंह	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री दिलीप सिंह कुरका
2.	2536 / 2025	परसाराम	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री डी पी शर्मा
3.	2553 / 2025	विक्रम सिंह	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-7)	श्री सुधीर यादव
4.	2554 / 2025	दीपा शर्मा	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-5)	श्री सुधीर यादव
5.	2558 / 2025	अब्दुल मुनीम खान	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	23.03.2025 व 15.04.2025 (अनुलग्नक-3 व 5)	श्री सलीम खान
6.	2563 / 2025	मनीष जैन	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री अशोक बंसल
7.	2566 / 2025	रेणू चुघ	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री नरेन्द्र कुमार सैनी
8.	2571 / 2025	अनीता शर्मा	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री सुरेन्द्र सिंह
9.	2578 / 2025	इन्द्र देव शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री सुखराज सिंह राठौड
10.	2580 / 2025	विनोद सोनी	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री कुशल सिंह राठौड
11.	2586 / 2025	ख्याली राम	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री मनोज ओजला
12.	2590 / 2025	धर्मेन्द्र कुमार मीणा	प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री सुखराज सिंह राठौड
13.	2591 / 2025	कजोड़ मल मीणा	प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री सुखराज सिंह राठौड
14.	2598 / 2025	रईस मोहम्मद शेख	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	11.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री दिलीप सिंह कुरका

15.	2599 / 2025	ओम प्रकाश गोड	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री आर.डी. मीणा एवं श्री शिवा नागर
16.	2615 / 2025	बनैसिंह मीना	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री हीरालाल गोठवाल
17.	2617 / 2025	चेतराम मीणा	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री हिमांशु जैन एवं श्री देवेन्द्र सोलंकी
18.	2627 / 2025	रामबीर सिंह	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री हीरालाल गोठवाल
19.	2631 / 2025	सैयद शब्बीर अली	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री अशोक बंसल
20.	2649 / 2025	गौरी शंकर शर्मा	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री अशोक बंसल
21.	2665 / 2025	धर्मेन्द्र कुमार महावर	शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री राकेश कुमावत
22.	2666 / 2025	बिश्ना राम	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री संदीप गरस्सा
23.	2667 / 2025	राजेश कुमार	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री संदीप गरस्सा
24.	2607 / 2025	संध्या दूबे	राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	12.04.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री सुरेन्द्र मील
25.	2592 / 2025	शिवदेव सिंघल	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	12.04.2025 (अनुलग्नक-9)	श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह

आदेश की दिनांक : 02.05.2025

उपस्थिति :-

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्वा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष  
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में विवाद का समान बिन्दु निहित है। इसलिए समस्त अपीलों का निस्तारण इस एक समान आदेश के द्वारा किया जा रहा है।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण का तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण की पदोन्नति माह दिसंबर, 2024 और जनवरी, 2025 में पारित आदेशों के द्वारा व्याख्याता/प्रधानाचार्य के पदों पर हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थीगण ने उनके पदस्थापित स्थान पर ही पदोन्नत पद पर कार्य ग्रहण कर लिया था। तालिका में अंकित आलोच्य आदेशों के द्वारा अपीलार्थीगण को पदोन्नति उपरान्त नवीन पदोन्नति पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जिन पदस्थापन आदेशों को अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपीलों में चुनौती दी गई है। अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण का मुख्य रूप से तर्क है कि वर्तमान विद्यालय एवं आस-पास के विद्यालयों में पदोन्नति पद के रिक्त पद उपलब्ध हैं, परन्तु फिर भी उन रिक्त पदों को काउंसलिंग के दौरान दर्शाया नहीं गया है। इस कारण अपीलार्थीगण को दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अनावश्यक रूप से रिक्त पदों को काउंसलिंग में छिपाते हुए अपीलार्थीगण को दूरस्थ पदस्थापित किया है, जो उचित नहीं है। दूर पदस्थापन किये जाने के कारण उन्हें व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार काउंसलिंग की गयी है और जिन पदों पर अपीलार्थीगण का पदस्थापन किया जाना आवश्यक था, उन्हीं पदों को काउंसलिंग के दौरान दर्शाया गया है। काउंसलिंग नियमानुसार की गयी है, जिसके पश्चात मैरिट के आधार पर अपीलार्थीगण का पदस्थापन किया गया है, जो नियमानुसार है। ऐसे में अपीलार्थीगण को जिन स्थानों पर पदस्थापित किया गया है, वहां पर उन्हें कार्य ग्रहण करना आवश्यक है।
5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।
6. हम पाते हैं कि समान मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या-8387/2025 महीराम बनाम राजस्थान राज्य में

आदेश दिनांक 24.04.2025 पारित किया है, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है:—

"8. Meanwhile, the effect and operation of order dated 12.04.2025 (Annexure-4) shall remain stayed qua the present petitioner.

9. Further, the petitioner shall meanwhile be also at liberty to file a detailed representation raising all his grievances before the Competent Authority within a period of five days from now.

10. On such representation been filed, the respondent authorities shall be under an obligation to decide the same positively within a period of two weeks.

7. इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने समान मामले में याचि को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं और अभ्यावेदन के निस्तारण तक आलोच्य आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हस्तगत अपीलों में न्यायहित में अपीलार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 1 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थीगण को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थीगण के संबंध में पारित आलोच्य आदेशों का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थीगण की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण को वहीं कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत थे।
8. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
9. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)  
अध्यक्ष